Popular Front of India

G-78, 2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindi Kunj, Noida Road, New Delhi- 110025
fb: https://www.facebook.com/PopularFrontofIndiaOfficial/ website: www.popularfrontindia.org
email: popularfrontmail@gmail.com Tel: 011- 29949902

प्रेस रिलीज़

नई दिल्ली
30 दिसम्बर 2017

तीन तलाक बिल–पर्सनल लॉ में असंवैधानिक हस्तक्षेप, असल उद्देश्य कुछ औरः पॉपुलर फ्रंट

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन ई. अबूबकर ने अपने एक बयान में संसद में पारित तीन तलाक बिल को पर्सनल लॉ में असंवैधानिक हस्तक्षेप करार दिया है।

इस बिल को संबंधित समूहों, मुस्लिम महिला संगठनों और मुस्लिम समुदाय की नुमाइंदगी करने वाले मंचों से किसी भी तरह की चर्चा किये बिना या उनकी राय जाने बिना ही तैयार किया गया। यहाँ तक कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से प्रधानमंत्री को भेजे गए खत पर भी गौर नहीं किया गया। भारतीय मुसलमानों के सभी समूहों के सबसे बड़े नमाइंदा मंच की अपील को इस तरह से रद कर देना नरेंद्र मोदी के अल्पसंख्यकों के प्रति अभिमानी रवैये का पता देता है।

इस बिल के बारे में यह दावा कि यह मुस्लिम महिलाओं की शादी के अधिकारों को पेश करता है, सरासर खोखला है, क्योंकि इसमें मुस्लिम महिलाओं की राय पर एक तरह से गौर ही नहीं किया गया। तीन तलाक एक ऐसा मामला है, जिससे केवल गिनती की कुछ मुस्लिम महिलाएं प्रभावित हैं। इस पर, इस समस्या को हल करने के बजाए, तीन तलाक देने वाले पतियों को जेल भेजना पीड़ितों और उनके बच्चों की परेशानियों को और बढ़ा देगा। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि यह एक महिला विरोधी बिल है।

तीन तलाक पर रोक लगाने और उसे 'गैरकानूनी' करार देने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को कुल मिलाकर इस समस्या के हल की ओर एक प्रभावी फैसला कहा जा सकता था। बिल का समर्थन करने वालों को यह स्पष्ट करना होगा कि एक अमल जिसका कानूनी रूप से पहले से कोई वजूद ही नहीं है, दण्डनीय अपराध कैसे हो सकता है? संसद में तीन तलाक के खिलाफ बिल पास करके इसे दण्डनीय अपराध करार देने के फैसले से यह पता चलता है कि सरकार राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे पर इतना ज़ोर दे रही है। इससे साफ तौर से यह भी पता चलता है कि इसके द्वारा उनका मकसद मुस्लिम मर्दों को जेल भेजना और मुस्लिम समुदाय और उनके संगठनों को बदनाम करना है।

अब यह बिल हाउस में पास किया जा चुका है, जहाँ मुस्लिम महिलाएं तो दूर पूरे मुस्लिम समुदाय की नुमाइंदगी भी न के बराबर है। बिल को इतनी जल्दबाज़ी में पास करने के पीछे गुप्त उद्देश्य, बताए गए उद्देश्यों के बजाए कुछ और ही हैं। मुसलमान अच्छी तरह समझते हैं कि मौजूदा बिल के पीछे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की हिफाज़त के बजाए इस्लामी शरीअत में हस्तक्षेप का दरवाज़ा खोलने और मौलिक अधिकारों में हेर–फेर करने की सोच काम कर रही है। लैंगिक समानता और इंसाफ की सतही बात पर नज़र रखते हुए और मुसलमानों की आवाज़ से बेपरवाह होकर बिल का समर्थन करने वाली सेक्युलर ताकतें, वास्तव में मुस्लिम समुदाय के साथ अजनबियत के माहौल को बढ़ावा देने में मदद कर रही हैं।

शफीकुर्रहमान
सेक्रेटरी, जनसंपर्क
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
मुख्यालय, नई दिल्ली